क्रम संख्या–60 (क) पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 30 जून, 2017 ई0

आषाढ़ 09, 1939 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 284/XXXVI(3)/2017/23(1)/2017

देहरादून, 30 जून, 2017

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम श्री राज्यपाल महोदय ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित "उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2017" पर दिनांक 29 जून, 2017 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 08, वर्ष 2017 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2017

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 08, वर्ष 2017)

(भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा 67वें वर्ष में अधिनियमित प्रख्यापित)

उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 का अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 29 की उपधारा (3–ख) का प्रतिस्थापन

2. उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा–29 की उप धारा (3–ख) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात :–

"(3–ख) सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण में एक अध्यक्ष एवं तीन सदस्य होंगे, जिसमें से दो सदस्य सहकारी सेवा से एवं एक सदस्य शीर्ष सहकारी समितियों से होगा। अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा–शर्तें और निबन्धन तथा प्राधिकरण हेतु कार्मिकों की संख्या एवं उनकी योग्यताएं ऐसी होगी, जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।"

निरसन और अपवाद

3. (1) उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश 2016 (अध्यादेश संख्या 02, वर्ष 2016) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन की गयी कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

भारत भूषण पाण्डेय,

अपर सचिव।

No. 284/XXXVI(3)/2017/23(1)/2017

Dated Dehradun, June 30, 2017

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2017'**. (Adhiniyam Sankhya 08 of 2017)

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 29 June, 2017.

THE UTTARAKHAND CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2017

(Uttarakhand ACT No. 08 of 2017)

(Enacted by the Uttarakhand State Assembly in the sixty-eight year of the Republic of India)

AN

ACT

further to amend the Uttarakhand Co-operative Societies Act, 2003

Short title and commencement

1. (1) This act may be called the Uttarakhand Co-operative Societies (Amendment) Act, 2017.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of Sub-section (3-b) of Section-29

2. Sub-section (3-b) of Section-29 of the Uttarakhand Co-operative Societies Act, 2003 shall be substituted as follows; namely :--

"(3-b) there shall be a chairman and three members in the Co-operative Election Authority, in which two members shall be from Co-operative service and one from Apex Co-operative Societies. The terms and service condition of the chairman and members and the number of employee and their qualifications shall be such as may prescribed by the State Government".

Repeal and Saving

3. (1) The Uttarakhand Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 2016 (Ordinance no-02 of 2016) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the Ordinance referred to in sub-clause (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act as if the provisions in this Act were in force at all materials time.

By Order,

BHARAT BHUSHAN PANDEY,
Additional Secretary.

404/17

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

भारत का संविधान के 97वें संशोधन के उपरान्त सहकारी समितियों के निर्वाचनों के अधीक्षण एवं पर्यवेक्षण के लिए एक स्वतंत्र सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का गठन किया गया था। संविधानिक बाध्यता के क्रम में माह दिसम्बर, 2016 में विधान सभा के विश्रान्ति काल में इस हेतु उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2016 प्रख्यापित किया गया था।

2–प्रस्तावित उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2017 उक्त अध्यादेश का प्रतिस्थानी विधेयक है।